



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30980

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5432 वर्ष 2026

श्रीमती शीला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: रविंद्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश न्यायमूर्ति पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया, तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 - तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-निजामाबाद, जिला आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 4163/2022 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202215060204163) में प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 02.04.2025 को दायर किए गए बहाली आवेदन का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपर्युक्त मामले का निर्णय विधि के अनुसार, अत्यंत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शीघ्रता से (और अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर) करे; तथा इस प्रक्रिया में अनावश्यक स्थगन (स्टे) न दिया जाए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”